



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2026—फाल्गुन 29, शक 1947

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग,

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2026

क्रमांक—401/मप्रविनिआ/2026. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 61(ज) तथा धारा 86(1)(ड) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन}, (पुनरीक्षण—द्वितीय), विनियम, 2021 {क्रमांक आरजी-33(II), वर्ष 2021} जिन्हें एतद् पश्चात् “मूल विनियम” निर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन}, (पुनरीक्षण—द्वितीय), विनियम, 2021 में पंचम संशोधन {एआरजी-33(II)(V), वर्ष 2026}”

1.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन}, (पुनरीक्षण-द्वितीय), विनियम, 2021 में पंचम संशोधन {एआरजी-33(II)(V), वर्ष 2026}" कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2. मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन :

2.1 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 2(दो) के पश्चात् एक नवीन विनियम, नामतः विनियम 2(दो)(क) निम्नानुसार अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"2(दो)(क) 'न्याय निर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer)' का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने हेतु "कारबार का संचालन) विनियम, 2023 में परिभाषित किया गया है ; "

2.2 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 2(दो)(क) को विनियम 2(दो)(ख) पुनः क्रमांकित किया जाए।

2.3 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 2(दो)(ख) के पश्चात् एक नवीन विनियम, नामतः विनियम 2(दो)(ग) निम्नानुसार अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"2(दो)(ग) 'ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency)' से अभिप्रेत है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जिसे समय-समय पर यथासंशोधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (Energy Conservation Act, 2001) की धारा 3 की उप-धारा (एक) के अधीन स्थापित किया गया है ; "

2.4 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 2(आठ) के पश्चात् एक नवीन विनियम, नामतः विनियम 2(आठ)(क) निम्नानुसार अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"2(आठ)(क) 'वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (Distributed Renewable Energy)' का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित एवं पुनरीक्षित 'Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulation 2013 में परिभाषित किया गया है ; "

2.5 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 2(बीस) के स्थान पर नवीन विनियम 2(बीस) निम्नानुसार अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"2(बीस) 'नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Renewable Purchase Obligation)' से अभिप्रेत है इन विनियमों के विनियम 3 के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान समस्त आबन्धित इकाइयों (Obligated Entities) द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के विद्युत उत्पादकों से, विद्युत सह-उत्पादन (Co-generation) को सम्मिलित करते हुए, अधिप्राप्त की जाने वाली विद्युत की न्यूनतम मात्रा; "

2.6 विद्यमान विनियम, नामतः विनियम 2(बीस)(क) तथा 2(तेईस)(क) को विलोपित किया जाए।

मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन :

3.1 मूल विनियमों के विनियम 3.1 के स्थान पर नवीन विनियम 3.1 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"3.1 आबन्धित इकाइयाँ, जो विद्युत वितरण अनुज्ञापिधारी, निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता तथा आबद्ध उपयोगकर्ता (Captive Users) हैं, द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की खपत का न्यूनतम अंशदान सुनिश्चित करने हेतु क्रय की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का न्यूनतम अंशदान, प्रत्येक

श्रेणी हेतु, कुल विद्युत ऊर्जा की खपत (जिसे एतद् पश्चात् नवीकरणीय क्रय आबन्धन निर्दिष्ट किया गया है) के प्रतिशत के रूप में निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरणों के अनुसार होगा (खुली पहुंच उपभोक्ताओं तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं हेतु यह आवश्यकता वितरण अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर, अन्य स्रोतों से विद्युत खपत पर लागू होगा) :

सरल क्रमांक	वर्ष	पवन ऊर्जा (Wind Energy)	जल-विद्युत ऊर्जा (Hydro Energy)	वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (Distributed Renewable Energy)	अन्य नवीकरणीय ऊर्जा (Other Renewable Energy)	कुल नवीकरणीय ऊर्जा (Total Renewable Energy)
1	2	3	4	5	6	7
1	2024-25	0.67%	0.38%	1.50%	27.36%	29.91%
2	2025-26	1.45%	1.22%	2.10%	28.24%	33.01%
3	2026-27	1.97%	1.34%	2.70%	29.94%	35.95%
4	2027-28	2.45%	1.42%	3.30%	31.64%	38.81%
5	2028-29	2.95%	1.42%	3.90%	33.09%	41.36%
6	2029-30	3.48%	1.33%	4.50%	34.02%	43.33%

(क) पवन ऊर्जा घटक (Wind Energy Component) के अधीन आबन्धन (Obligation) की पूर्ति दिनांक 31 मार्च, 2024 के पश्चात् क्रियाशील की गई (Commissioned) पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित की गई ऊर्जा के माध्यम से की जाएगी।

(ख) जल विद्युत घटक (Hydro Energy Component) के अधीन आबन्धनों (Obligations) की पूर्ति दिनांक 31 मार्च, 2024 के पश्चात् क्रियाशील की गई (Commissioned) जल ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित की गई ऊर्जा के माध्यम से की जाएगी।

परन्तु यह कि जल-विद्युत ऊर्जा घटक के अधीन आबन्धन की पूर्ति ऐसी परियोजनाओं से राज्य अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क ऊर्जा से भी की जा सकेगी :

परन्तु आगे यह और कि जल-विद्युत घटक के अधीन आबन्धन की पूर्ति भारत से बाहर अवस्थित जल-विद्युत परियोजनाओं से भी केन्द्र सरकार द्वारा प्रकरण-दर-प्रकरण गुण-दोष के आधार पर (Case-to-Case Basis) की जा सकेगी।

(ग) वितरित नवीकरणीय ऊर्जा घटक के अधीन आबन्धन की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से जिनकी क्षमता 10 मेगावाट से अधिक नहीं है, उत्पादित ऊर्जा के माध्यम से की जा सकेगी तथा इसमें समस्त विन्यासों/संस्थियों (Configurations) के अधीन सौर स्थापनाएं (Solar

Installations) {जैसे कि शुद्ध मापन (Net Metering), सकल मापन (Gross Metering), प्रतीयमान शुद्ध मापन (Virtual Net Metering), सामूहिक शुद्ध मापन (Group Net Metering), मापयन्त्रस्थापनाओं के पीछे की ओर (behind the meter installations) तथा अन्य कोई विन्यास/संस्थिति (Configuration)) तथा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सम्मिलित की जाएंगी :

परन्तु यह कि वितरित नवीकरणीय ऊर्जा आबन्धन (Distributed Renewable Energy Obligation) के विरुद्ध अनुपालन को सामान्यतः ऊर्जा (किलोवाट ऑवर इकाइयों) के रूप में मान्य किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि ऐसे प्रकरण में जहां आबन्धित इकाई वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना के विरुद्ध उत्पादन आंकड़े (generation data) प्रदान करने में सक्षम न हो वहां प्रतिवेदित क्षमता (reported capacity) को 4 किलोवाटऑवर प्रति किलोवाट प्रति दिवस (kWh/kW/day) के गुणक (multiplier) द्वारा ऊर्जा (energy) के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

(घ) अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक (Renewable Energy Component) के अधीन आबन्धन की पूर्ति उपरोक्त (क), (ख) तथा (ग) में निर्दिष्ट किये गयों को छोड़कर किसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से उत्पादित विद्युत ऊर्जा द्वारा की जा सकेगी। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा में निम्नसमस्त परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाएगा, जो मात्र इनतक ही सीमित न होगा —

(एक) पवन ऊर्जा परियोजनाएं (Wind Power Projects) ;

(दो) सौर ऊर्जा परियोजनाएं (Solar Power Projects) ;

(तीन) जल-विद्युत परियोजनाएं, निःशुल्क ऊर्जा (free power) को सम्मिलित करते हुए, जो एक अप्रैल, 2024 से पूर्व क्रियाशील (Commissioned) की गई हों ; और

(चार) नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste) से उत्पादित काष्ठ कोयला (Charcoal) तथा बायोमास गुटिकाओं का सह-दहन (Co-firing)।

3.2 मूल विनियमों के विनियम 3.1.1 से 3.1.8 तक के विनियमों के स्थान पर नवीन विनियम 3.1.1 से 3.1.8 निम्नानुसार स्थापित किये जाएं, अर्थात् :

“3.1.1 पवन जल विद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के अधीन आबन्धन (Obligations) प्रतिमोच्य/प्रतिस्थापन योग्य (fungible) होंगे {अर्थात् एक में किसी कमी की पूर्ति अन्य में आधिक्य (surplus) द्वारा की

जा सकेगी], जबकि वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (distributed renewable energy) में उसकी कोई कमी (shortfall) अ-प्रतिमोच्य/अ-प्रतिस्थापन योग्य (non-fungible) होगी परन्तु उसमें किसी प्रकार के आधिक्य/अतिशेष को अन्य घटकों द्वारा प्रतिसन्तुलित (offset) किया जा सकेगा।

- 3.1.2 समस्त आबन्धित इकाइयों (obligated entities) हेतु नवीकरणीय क्रय आबन्धन में नाभिकीय ऊर्जा स्रोतों (Nuclear Power Sources) के माध्यम से खपत की गई विद्युत को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- 3.1.3 आबन्धित इकाइयों के रूप में निर्दिष्ट निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता (open access consumers) तथा आबद्ध उपयोगकर्ता (captive users) किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से निर्दिष्ट समग्र नवीकरणीय क्रय आबन्धन की पूर्ति कर सकेंगे।
- 3.1.4 आबन्धित इकाइयों के रूप में निर्दिष्ट निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं हेतु नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Renewable Purchase Obligation) में निर्बाध (खुली) पहुंच से ऐसी निर्बाध (खुली) पहुंच द्वारा की गई समग्र विद्युत ऊर्जा खपत को सम्मिलित किया जाएगा।
- 3.1.5(क) आबन्धित इकाइयों के रूप में निर्दिष्ट आबद्ध उपयोगकर्ताओं (captive users) हेतु नवीकरणीय क्रय आबन्धन में ऐसे आबद्ध उपयोगकर्ता द्वारा उपभोग की गई समग्र विद्युत को सम्मिलित किया जाएगा। इस आबन्धन के अन्तर्गत आबद्ध संयुक्त चक्र गैस-आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र (Captive Combined Cycle Gas-Based Generating Station) में जीवाष्म-आधारित स्रोतों (fossil based sources) का उपयोग करने वाली अपशिष्ट उष्मा पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया (Waste Heat Recovery Process) द्वारा स्व-उपभोग (Self consumed) की गई विद्युत को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इन आबन्धनों में अपशिष्ट ऊर्जा पुनर्प्राप्ति (waste energy recovery) के माध्यम से उपोत्पाद गैसों (by-product gases) से या फिर औद्योगिक प्रक्रियाओं से संबद्ध अवशिष्ट ऊर्जा स्रोतों (residual energy sources) के अन्य प्रकारों को सम्मिलित करते हुए स्व-उपभोग की गई विद्युत को भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(ख) आबन्धन (obligation) में निम्न को सम्मिलित नहीं किया जाएगा—

- (एक) जीवाष्म-ईंधन आधारित सह-उत्पादन संयन्त्र से स्व-उपभोग की गई विद्युत का 50% अंश ; तथा

(दो) एल्यूमीनियम प्रगलकों (Aluminium Smelters) द्वारा खपत की गई जीवाष्म ईंधन-आधारित विद्युत का 50% अंश।

3.1.6 आबन्धित इकाइयों हेतु जो स्वयं वितरण अनुज्ञप्तिधारी हैं, नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Renewable Purchase Obligation) की गणना वितरण अनुज्ञप्तिधारी की परिधि/सीमा (Periphery) के भीतर अवस्थित उपभोक्ताओं को प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा के आधार पर की जाएगी। इस विद्युत आपूर्ति में वितरण अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर अन्य स्रोतों से तथा आबद्ध उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वयं उत्पादित तथा स्व-उपभोग हेतु निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से की गई खपत को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

3.1.7 आबन्धित इकाइयानिम्न में से किसी भी एक या एक से अधिक विधियों द्वारा निर्दिष्ट नवीकरणीय क्रय आबन्धन की पूर्ति कर सकेंगी, यथा:

एक. नवीकरणीय विद्युत की खपत के माध्यम से, प्रत्यक्ष रीति अनुसार या फिर ऊर्जा संचयन प्रणाली (energy storage system) के माध्यम से ;

दो. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार जारी किये गये स्व-उत्पादित (self generated) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के माध्यम से या उनके क्रय द्वारा, ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों को सम्मिलित करते हुए जिनका अधिग्रहण प्रतीयमान विद्युत क्रय अनुबन्धों (Virtual Power Purchase Agreements) के माध्यम से किया जाता हो ; और

तीन. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट अधिग्रहण मूल्य (buyout price) के भुगतान द्वारा :

परन्तु यह कि अधिग्रहण क्रियाविधि (buyout mechanism) के माध्यम से प्राप्त की गई धन राशियों को केन्द्रीय ऊर्जा संरक्षण कोष (Central Energy Conservation Fund) को पृथक शीर्ष (separate head) के अन्तर्गत आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा जिसमें से 75% राशि को राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष को अन्तरित किया जाएगा। समग्र ऊर्जा मिश्रण (Overall Energy Mix) में गैर-जीवाष्म ईंधन ऊर्जा के अंशदान में वृद्धि के उद्देश्य से इन राशियों का उपयोग निर्दिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास में सहायता

प्रदान करने हेतु किया जाएगा। राज्य शासन ऐसी गैर-जीवाष्म ईंधन क्षमताओं के विकास हेतु सहायता प्रदान करने हेतु ऐसे राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष में संचित धन राशियों के उपयोग हेतु क्रियाविधि निर्दिष्ट करेगा।

3.1.8 सामान्य नियन्त्रण के अधीन बहुविध उपभोक्ताओं हेतु यथास्थिति कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18, वर्ष 2013) में परिभाषित नियन्त्रक कम्पनी (holding company) स्तर पर या सुसंबद्ध सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के अधीन सहकारी सोसाइटी स्तर पर नवीकरणीय क्रय आबन्धन अनुपालन हेतु समग्र आधार पर विचार किया जाएगा।

3.3 मूल विनियमों के विनियम 3.1.9 से 3.1.14 को विलोपित किया जाए।

3.4 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 3.8(क)(ख) के स्थान पर नवीन विनियम 3.8(क)(ख) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात्:

“ख. किसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयन्त्र से निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की अधिप्राप्ति द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से या व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी (Trading Licensee) के माध्यम से या फिर विद्युत विपणन केन्द्रों (Power Markets) के माध्यम से।”

3.5 मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 3.8(क)(ग)(एक) के स्थान पर नवीन विनियम 3.8(क)(ग)(एक) निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात्:

“एक. कोई भी उपभोक्ता हरित ऊर्जा (green energy) के क्रय हेतु या तो खपत के निश्चित प्रतिशत तक या फिर सम्पूर्ण खपत हेतु चयन कर सकेगा तथा उसके द्वारा अपने वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष इस हेतु मांग प्रस्तुत की जा सकेगी जिसके द्वारा हरित ऊर्जा की उक्त मात्रा की प्राप्ति तथा आपूर्ति की जाएगी तथा उपभोक्ता के समक्ष पवन, जल-विद्युत, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य श्रेणियों हेतु पृथक-पृथक मांग प्रस्तुत करने का लचीला विकल्प उपलब्ध रहेगा ;”

4. मूल विनियमों के विनियम 12 में संशोधन :

मूल विनियमों के विनियम 12.5, 12.6 तथा 12.7 को विलोपित किया जाए।

5. मूल विनियमों के विनियम 13 में संशोधन :

मूल विनियमों के विद्यमान विनियम 13.3 के पश्चात् एक नवीन विनियम 13.4 निम्नानुसार अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

“13.4 आबन्धित इकाइयां अपने नवीकरणीय क्रय आबन्धन (Renewable Purchase Obligation) की पूर्ति केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अधिग्रहण मूल्य (buyout price) के भुगतान द्वारा कर सकती हैं।

6. मूल विनियमों के विनियम 14 में संशोधन :

मूल विनियमों के विनियम 14(ख) को विलोपित किया जाए तथा शीर्षक “(क) राज्य अभिकरण (State Agency)” में प्रकट हो रहे शब्द ‘(क)’ को विलोपित किया जाए।

7. मूल विनियमों के विनियम 15 में संशोधन :

मूल विनियमों के विनियम 15 के स्थान पर एक नवीन विनियम 15 निम्नानुसार अन्तर्स्थापित किया जाए, अर्थात् :

“15 आबन्धित इकाइयों द्वारा नवीकरणीय क्रय आबन्धन के अनुपालन का अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन प्रस्तुति तथा चूक का प्रभाव (Monitoring and Reporting of RPO Compliance by Obligated Entities and Effect of Default)

15.1 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) द्वारा विनियम (3) के अधीन आबन्धन के अनुपालन का अनुश्रवण (monitor) किया जाएगा तथा आयोग को इसका नियतकालिक प्रतिवेदन (periodic report) प्रस्तुत किया जाएगा। अनुपालन अनुश्रवण हेतु समस्त आबन्धित इकाइयों द्वारा वांछित सूचना ‘ब्यूरो मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षणकर्ता फर्म (Bureau accredited energy auditing firm)’ द्वारा विधिवत प्रमाणित तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र (State Load Despatch Centre) द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लि. हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को अपने अभिहित वेब पोर्टल (Designated web portal) पर, जैसा कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा चाहा जाए, प्रस्तुत की जाएगी।

15.2 आबन्धित इकाइयां प्रत्येक वर्ष हेतु दिनांक 31 जुलाई तक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को विधिवत प्रमाणित लेखे प्रस्तुत करेंगी। वे अपना अनुपालन प्रतिवेदन (Compliance Report) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को नवीकरणीय क्रय आबन्धनों में पाई गई कमियों के बारे में पूर्ति के पश्चात् नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के क्रय या अधिग्रहण मूल्य (buyout price) के भुगतान के माध्यम से, यदि कोई हो, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु दिनांक 31 मार्च, 2026 तक तथा प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष हेतु दिनांक 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत करेंगी।

15.3 नवीकरणीय क्रय आबन्धन में पाई गई किसी कमी (shortfall) को अपालन (non-compliance) माना जाएगा तथा न्याय निर्णायक अधिकारी (Adjudicating Officer) द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (क्रमांक 52, वर्ष 2001) की धारा 26 की उप-धारा (3) के उपबन्धों के अधीन दोषी पाये जाने पर चूककर्ता पर अर्थदण्ड (Penalty) अधिरोपित किया जा सकेगा।

15.4 इन विनियमों के विनियमों 15.1 तथा 15.2 के अपालन के प्रकरण में, जो मात्र नवीकरणीय क्रय आबन्धन, वांछित सूचना के अ-प्रस्तुतिकरण या फिर त्रुटिपूर्ण सूचना (incorrect information) प्रस्तुतिकरण को सम्मिलित करते हुए तक ही सीमित न होंगे, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो या राज्य अभिकरण (State Agency) समय-समय पर यथासंशोधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (क्रमांक 52, वर्ष 2001) के उपबन्धों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु विधिक कार्यवाही कर सकेंगे।”

टीप:- इन विनियमों के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचना या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पाण्डा, सचिव.

Bhopal, the 12th March 2026

No. MPERC /2026/401 -In exercise of the powers conferred by Section 181 read with Section 61(h) and 86(1)(e) of the Electricity Act 2003, (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following Regulations to amend the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy (Revision-II) Regulations 2021[RG-33(II) of 2021], herein after referred to as the “**Principal Regulations**” namely :-

FIFTH AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (COGENERATION AND GENERATION OF ELECTRICITY FROM RENEWABLE SOURCES OF ENERGY (REVISION-II) REGULATIONS 2021[ARG-33(II)(v) of 2026]

1. Short Title and Commencement-

- 1.1. These Regulations shall be called “**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy (Revision-II) Regulations 2021(Fifth Amendment) [ARG-33(II)(v) of 2026]**”.
- 1.2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- 1.3. These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations.

- 2.1 A new Regulation, namely Regulation 2 (ii)(a) shall be inserted after existing Regulation 2(ii) of the Principal Regulations, namely: -

“2 (ii) (a) ‘**Adjudicating Officer**’ shall have the same meaning as defined in MPERC (Conduct of Business for Holding Inquiry by Adjudicating Officer) Regulations, 2023, as amended from time to time;

- 2.2 Existing Regulation 2(ii) (a) of the Principal Regulations shall be re-numbered as Regulation 2 (ii) (b).

- 2.3 A new Regulation, namely Regulation 2 (ii)(c) shall be inserted after existing Regulation 2(ii)(b) of the Principal Regulations, namely: -**

“2 (ii)(c) ‘Bureau of Energy Efficiency’ means the Bureau of Energy Efficiency established under sub-section (1) of Section 3 of Energy Conservation Act, 2001, as amended from time to time;”

- 2.4 A new Regulation, namely Regulation 2 (viii)(a) shall be inserted after existing Regulation 2(viii) of the Principal Regulations, namely: -**

“2 (viii) (a) ‘Distributed Renewable Energy’ shall have the same meaning as defined in Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity of the Distributed Generation Resources) Regulations, 2013 as amended and revised from time to time and as may be notified by Ministry of Power/ Ministry of New and Renewable Energy, Government of India from time to time;”

- 2.5 Existing Regulation 2(xx) of the Principal Regulations shall be substituted by the following Regulation, namely: -**

“2(xx) ‘Renewable Purchase Obligation (RPO)’ means a minimum quantum of electricity to be procured by all the obligated entities from generators of renewable energy including co-generation during the Financial Year as per Regulation 3 of these Regulations;”

- 2.6 Existing Regulations namely Regulation 2(xx)(a) and 2 (xxiii)(a) shall be deleted.**

3. Amendment to Regulations 3 of the Principal Regulations.

- 3.1. Regulation 3.1 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:**

“ 3.1The minimum share of renewable energy power purchase to ensure minimum share of consumption from renewable energy sources by obligated entities, who are electricity distribution licensees, open access consumers and captive users, as percentage of total electrical energy consumption (hereinafter referred to as

the Renewable Purchase Obligation) for each category, shall be as per the details given in the Table below (For open access consumers and captive users, this requirement applies to electricity consumption from sources other than distribution licensee):

Table

Sl.No	Year	Wind energy	Hydro energy	Distributed renewable energy	Other renewable energy	Total renewable energy
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2024-25	0.67%	0.38%	1.50%	27.36%	29.91%
2.	2025-26	1.45%	1.22%	2.10%	28.24%	33.01%
3.	2026-27	1.97%	1.34%	2.70%	29.94%	35.95%
4.	2027-28	2.45%	1.42%	3.30%	31.64%	38.81%
5.	2028-29	2.95%	1.42%	3.90%	33.09%	41.36%
6.	2029-30	3.48%	1.33%	4.50%	34.02%	43.33%

(a) The obligation under the Wind energy component shall be met by energy produced from Wind Power Projects commissioned after 31st March 2024.

(b) The obligations under the Hydro energy component shall be met by energy produced from Hydro Power Projects, commissioned after 31st March 2024:

Provided that the obligation under the Hydro energy component may also be met out of the free power being provided to the State or Distribution Licensee from such Projects:

Provided further that the obligation under the Hydro energy component may also be met from Hydro Power Projects located outside India, as approved by the Central Government, on a case- to-case basis.

(c) The obligation under the Distributed renewable energy component shall be met from the energy generated from renewable energy projects that do not exceed 10 MW in size and shall include solar installations under all configurations (net metering, gross metering, virtual net metering, group net metering, behind the meter installations and any other configuration) and other renewable energy sources notified by the Central Government:

Provided that the compliance against Distributed renewable energy obligation shall ordinarily be considered in terms of energy (kilowatt hour units):

Provided further that in case the obligated entity is unable to provide generation data against Distributed renewable energy installations, the reported capacity shall be converted into Distributed renewable energy generation in terms of energy by a multiplier of 4kilowatt-hour per kilowatt per day (kWh/kW/day).

(d) The obligation under the other renewable energy component may be met by electrical energy produced from any renewable energy project other than specified in (a), (b) and (c). Other renewable energy shall include, but not limited to, electrical energy generated from all-

- (i) Wind Power Projects;
- (ii) Solar Power Projects;
- (iii) Hydro Power Projects, including free power, commissioned before 1st April, 2024; and
- (iv) Co-firing of biomass pellets and charcoal produced from Municipal Solid Waste.

3.2. Regulations 3.1.1 to 3.1.8 of the Principal Regulations shall be substituted by new Regulations 3.1.1. to 3.1.8., as under, namely:

3.1.1. Obligations under Wind, Hydro, and other renewable energy components are fungible (shortfalls in one may be met by surpluses from others), while distributed renewable energy is non-fungible for its shortfall but its surplus may offset other components.

3.1.2. For all the obligated entities, the Renewable Purchase Obligation shall exclude electricity consumed from Nuclear Power Sources.

3.1.3. Open access consumers and captive users specified as obligated entities shall meet the specified total Renewable Purchase Obligation, from any renewable energy source.

3.1.4. For open access consumers specified as obligated entities, Renewable Purchase Obligation shall include total electrical energy consumption by such open access consumers from open access.

3.1.5.(a) For captive users specified as obligated entities, Renewable Purchase Obligation shall include total electricity consumed by such captive user. The obligation shall exclude electricity self-consumed from waste heat recovery process using fossil-based sources, except for electricity generated from a Waste Heat Recovery Steam Generator in a Captive Combined Cycle Gas-Based Generating Station. The obligations shall also exclude electricity self-consumed through waste energy recovery, including from by-product gases, or other forms of residual energy sources associated with industrial processes.

(b) The obligation shall exclude –

- (i) 50% of the electricity self-consumed from fossil-fuel based co-generation plant; and
- (ii) 50 % of the fossil fuel-based electricity consumed in Aluminium smelters.

3.1.6. For obligated entities who are Distribution Licensees, the Renewable Purchase Obligation shall be calculated based on the electrical energy supplied to consumers within the periphery of the Distribution Licensee. This supply shall not include the consumption of open access users from the sources other than the Distribution Licensee and the electricity generated and self-consumed by captive users.

3.1.7. Obligated entities may fulfil the specified Renewable Purchase Obligation through one or more of the following methods, namely: -

- i. Consumption of renewable electricity, either directly or through an energy storage system;
- ii. Purchased or self-generated Renewable Energy Certificates issued in accordance with Regulations notified by the Central Electricity Regulatory Commission including Renewable Energy Certificates acquired under Virtual Power Purchase Agreements; and

- iii. Payment of the buyout price as may be specified by the Central Electricity Regulatory Commission:

Provided that the sums received through the buyout mechanism shall be credited to the Central Energy Conservation Fund under a separate head, from which 75% of the amount shall be transferred to the State Energy Conservation Fund set up by State Government. These sums shall be utilised to support the development of specified renewable energy sources and storage capacities, with the objective of increasing the share of non-fossil fuel energy in the overall energy mix. The State Government shall specify the mechanism for utilising sums accumulated in State Energy Conservation fund to support the development of such non-fossil fuel capacities.

3.1.8. The Renewable Purchase Obligation compliance for multiple consumers under common control shall be considered on an aggregate basis, at the holding company level as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or at the level of a cooperative society registered under the relevant Co-operative Societies Acts, as the case may be.”

3.3. Regulation 3.1.9 to 3.1.14 of the Principal Regulations shall be deleted.

3.4. Existing Regulation 3.8(A)(b) of the Principal Regulations shall be substituted by a new Regulation 3.8(A)(b), as under, namely: -

“b. By procuring Renewable Energy through Open Access from any Renewable Energy Generating plant either directly or through a trading licensee or through power markets.”

3.5. Existing regulation 3.8(A)(c)(i) of the Principal Regulations shall be substituted by a new Regulation 3.8(A)(c)(i), as under, namely: -

“i. Any consumer may elect to purchase green energy either up to a certain percentage of the consumption or its entire consumption and such consumer may place a requisition for this with the Distribution Licensee, which shall procure such quantity of green energy and supply it and the consumer shall have the flexibility to give separate requisition for wind, Hydro, Distributed Renewable Energy and Other categories;”

4. Amendment to Regulations 12 of the Principal Regulations.

Regulations 12.5, 12.6 and 12.7 of the Principal Regulations shall be deleted.

5. Amendment to Regulations 13 of the Principal Regulations.

A new Regulation 13.4 shall be inserted after existing Regulation 13.3, of the Principal Regulations as under, namely: -

“13.4 The Obligated Entities can also fulfil their Renewable Purchase Obligation (RPO) by payment of the buyout price as may be specified by the Central Electricity Regulatory Commission.”

6. Amendment to Regulations 14 of the Principal Regulations.

Regulations 14(B) of the Principal Regulations shall be deleted and word ‘A’ appearing in the heading “(A) State Agency” shall be omitted.

7. Amendment to Regulations 15 of the Principal Regulations.

Regulations 15 of the Principal Regulations shall be substituted by a new Regulation 15, as under, namely: -

“15. Monitoring and Reporting of RPO Compliance by Obligated Entities and Effect of Default

15.1. The Bureau of Energy Efficiency shall monitor compliance of obligation under Regulation (3) and submit periodic report to the Commission. For compliance monitoring, all the obligated entities shall furnish the required information duly certified by ‘Bureau accredited energy auditing firm’ and by the State Load Dispatch Center for Distribution Licensees/ MP Power Management Co. Ltd. to the Bureau of Energy Efficiency on its designated web portal as may be required by the Bureau of Energy Efficiency.

- 15.2. Obligated entities shall submit their duly certified energy accounts to Bureau of Energy Efficiency by 31st July for each year. They shall submit compliance report to Bureau of Energy Efficiency after meeting the shortfalls in Renewable Purchase Obligations through purchase of Renewable Energy Certificates or payment of buyout price, if any, by 31st March 2026 for the financial year 2024-2025, and by 31st December for each subsequent financial year.
- 15.3. Any shortfall in meeting the Renewable Purchase Obligation shall be treated as non-compliance and penalty may be imposed by Adjudicating Officer in accordance with the provisions under Sub-Section (3) of Section 26 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), as amended from time to time.
- 15.4. In case of a non-compliance of Regulations 15.1 and 15.2 of these Regulations, including but not limited to, shortfall in meeting the Renewable Purchase Obligation, non-submission of required information, or submission of incorrect information, the Bureau of Energy Efficiency or the State Agency may process for imposing penalty, in accordance with the provisions of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), as amended from time to time, and the Rules made thereunder.”

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.